छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2015

क्रमांक/एफ 5–17/2015/18 - राज्य शासन पूर्व में जारी आदेश क्र. एफ 5–17/2015/18 नया रायपुर दि. 20 जुलाई 2015 के तारतम्य में शहर स्तर में मिशन के क्रियान्वयन हेतु एतद् द्वारा निम्नानुसार शहर स्तरीय अंतर–विभागीय कार्यबल का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1. संबंधित निकाय क्षेत्र के कलेक्टर – अध्यक्ष
2. संबंधित निकाय के आयुक्त – सदस्य
3. उप संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश विभाग – सदस्य
4. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – सदस्य
5. जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग – सदस्य
6. शहर में स्थित विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (जहां लागू हो) के मु.का.अधि. – सदस्य
7. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग – सदस्य
8. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग – सदस्य
9. चयनित स्मार्ट सिटी हेतु गठित एसपीव्ही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी – सदस्य सचिव

2/ उपरोक्त कार्यबल भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत चयनित शहरों को स्मार्ट बनाये जाने की प्रक्रिया एवं कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

3/ यह आदेश स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत चयनित शहरों में लागू होगा।

4/ संदर्भित आदेश अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अंतर–विभागीय कार्यबल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश का पालन शहरी स्तरीय कार्यबल को करना होगा।

20/7/15
(जितेन्द्र शुक्ला)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 5–17/2015/18/5453 नया रायपुर दिनांक : 20 /07/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
2. अवर सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन गृह, जेल एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग., नया रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला .... ।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, बीरगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, भिलाई–चरौदा एवं धमतरी।
9. अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण।
10. उप संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश विभाग ....
11. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ....
12. जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग ....
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ....
14. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग ....
15. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ....

20/7/15

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग